न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 13/2021

1. विक्रमसिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
2. यशवंतसिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा। :–**वादीगण**

ब ना म

1. रामकुमार पुत्र श्योदयाल जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
2. रामकिशन पुत्र श्योदयाल जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
3. विमल चौधरी पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
4. राजबाला पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
5. चतरसिंह पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
6. लेखराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा। :– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मोठसरां के खाता सं0 93/94 के खसरा सं0 55 की 2.200है0, खसरा सं0 96 की 1.366है0, खसरा सं0 45/2 की 1.518है0, खसरा सं0 86 की 1.821है0 कुल 6.905है0 बारानी खातेदारी जो प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार व प्रतिवादी सं0 2 रामकिशन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 2 रामकिशन 1/2 हिस्सा के अनुसार यथावत व प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खाता में प्रतिवादी सं0 1 तथा 3 ता 4 का कोई हक हिस्सा नहीं है। तथा रोही भनाई के खाता सं0 381/335 के खसरा सं0 36 की 4.097है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी स0 1 रामकुमार की 2.0485है0 व प्रतिवादी सं0 2 रामकिशन की 0.5305है0 कुल 2.579है0 बारानी खातेदारी में रामकुमार व रामकिशन का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण 2.579है0 के बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार तथा इस खाता में प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का कोई हक हिस्सा नहीं है, इसी प्रकार रोही अनुपशहर के खाता सं0 349/341 के खसरा सं0 738 की 2.593है0, खसरा सं0 742 की 3.693है0 कुल 6.286है0 में रामकिशन व रामकुमार के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 2 रामकिशन का नाम कलमजन किया जाकर अकेले प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार को 1/2 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि उक्त वादभूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा तर्क किये गये अपने हक हिस्सा पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावे। वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.04 11:21:23 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 13/2021

1. विक्रमसिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
2. यशवंतसिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. रामकुमार पुत्र श्योदयाल जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
2. रामकिशन पुत्र श्योदयाल जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
3. विमल चौधरी पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
4. राजबाला पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
5. चतरसिंह पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
6. लेखराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी मोठसरां त0 भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी **: वादी**
वकील श्री उम्मेद मोठसरा **: प्रतिवादीगण**

दिनांक : 31.03.2021

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा मोठसरां के खाता सं0 93/94 के खसरा सं0 45/2 की 1.518है0, खसरा सं0 55 की 2.200है0, खसरा सं0 86 की 1.821है0, खसरा सं0 96 की 1.386है0 कुल 6.905है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रामकिशन व रामकुमार के नाम बहिस्सा बराबर व रोही मोजा भनाई के खाता सं0 381/335 के खसरा सं0 36 की 4.097है0 में से प्रतिवादी रामकुमार के नाम 2.048है0 व प्रतिवादी रामकिशन के नाम से 0.530है0 व रोही मोजा अनूपशहर के खाता सं0 349/341 के खसरा सं0 738 की 2.593है0, खसरा सं0 742 की 3.693है0 कुल 5.286है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रामकिशन व रामकुमार के नाम से 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी चतरसिंह व लेखराम के नाम से 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर की खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता श्योदयाल की खातेदारी हुआ करती थी। श्योदयाल से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा [illegible]

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू [illegible] से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी [illegible] हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा [illegible] उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखारमत है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:21:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 5 व 6 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र मील उपस्थित। परन्तु प्रतिवादी सं0 5 व 6 ने अपना जवाब दावा पेश नहीं किया एवं वकील प्रतिवादी सं0 5 व 6 ने मौखिक रूप से वादपत्र को स्वीकार किया। व प्रतिवादी सं 7 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु विक्रमसिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मोठसरां के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम मोठसरां संवत 2073–76 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही अनूपशहर संवत 2075–78 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही भनाई संवत 2074–77 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही अनूपशहर संवत 2037 प्रदर्श 4, जमाबंदी रोही मोठसरा संवत 2041–44 प्रदर्श 5, जमाबंदी रोही मोठसरां संवत 2043 प्रदर्श 6, जमाबंदी रोही अनूपशहर संवत 2039 प्रदर्श 7, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मोठसरां प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक व संयुक्त हिन्दू परिवार कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। वादभूमि की बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 का पारिवारिक सैटलमेंट हो गया था वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का वादभूमि में मुताबिक पारिवारिक सैटलमेंट के कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु रिकार्ड में वादभूमि प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज चली आ रही है। तथा प्रतिवादीगण ने हम वादीगण के दावा का कोई खण्डन नहीं किया। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने मोठसरा, भनाई, अनूपशहर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 8 में वारिसप्रमाण पत्र में रामकुमार के दो पुत्र विक्रमसिंह व यशवंतसिंह व दो पुत्री विमल चौधरी व राजबाला के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा मोठसरां की जमाबंदी 2041–44, रोही अनूपशहर की जमाबंदी संवत 2043, रोही भनाई संवत 2036 की जमाबंदिया के आधार पर वादभूमि वादीगण की पैतृक व संयुक्त हिन्दू परिवार की खातेदारी होना साबित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के [illegible] राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोठसरां के खाता सं0 93/94 के खसरा सं0 55 की 2.200है0, खसरा सं0 96 की [illegible] खसरा सं0 45/2 की 1.518है0, खसरा सं0 86 की 1.821है0 कुल 6.905है0 [illegible] खातेदारी जो प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार व प्रतिवादी सं0 2 रामकिशन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 2 रामकिशन 1/2 हिस्सा के अनुसार यथावत [illegible] प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खाता में प्रतिवादी सं0 1 तथा 3 ता 4 का कोई हक हिस्सा नहीं है। तथा रोही भनाई के खाता सं0 381/335 के खसरा सं0 36

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:21:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की 4.097है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार की 2.0485है0 व प्रतिवादी सं0 2 रामकिशन की 0.5305है0 कुल 2.579है0 बारानी खातेदारी में रामकुमार व रामकिशन का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण 2.579है0 के बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार तथा इस खाता में प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का कोई हक हिस्सा नहीं है, इसी प्रकार रोही अनुपशहर के खाता सं0 349/341 के खसरा सं0 738 की 2.593है0, खसरा सं0 742 की 3.693है0 कुल 6.286है0 में रामकिशन व रामकुमार के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 2 रामकिशन का नाम कलमजन किया जाकर अकेले प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार को 1/2 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि उक्त वादभूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा तर्क किये गये अपने हक हिस्सा पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:21:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner